तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यावाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाय जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
11/9/23	पत्रावली पेश हुई। वकुसाप फरीकेन उप.। वकील वादी द्वारा बंटवारा प्रस्ताव पर आपत्ति जाहिर की, जिसके आवेदन की प्रति वकील प्रतिवादी को दिलवाई गई। पत्रावली वास्ते आपत्ति / बहस बंटवारा प्रस्ताव दिनांक 12.9.23 को पेश हो। (हस्ताक्षर) 11/09/23	
12/9/23	पत्रावली पेश हुई। वकुसाप फरीकेन उप.। वकील प्रतिवादी ने जवाब आपत्ति बंटवारा प्रस्ताव पेश किया। जिसकी प्रति वकील वादी को दिलवाई गई। पत्रावली वास्ते अन्तिम बहस / निर्णय दिनांक 18.9.23 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) दांतारामगढ़ (सीकर)	
18/9/23	पत्रावली पेश। उभय पक्ष अधि. उपस्थित। उभय पक्षीय बहस बटवारा प्रस्ताव पर आपत्ति के सम्बन्ध में व मूल वाद के संबंध	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यावाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाय जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
	मे सुनी गयी वकील वादी ने बंटवारा प्रस्ताव पर निम्न 3 आपत्ति पेश की (1) वादी का हिस्सा .8906 है की जगह .8400 है. ही बंटवारा मे प्राप्त है। (2) वादी की भूमि हेतु कच्ची रास्ता नहीं है (3) वादी को कृषि कुए 686/854 मे 1/3 हक हिस्सा दिया जावे जिस पर वकील प्रति. ने अपने लिखित जवाब को ही बहस मे दोहराया। मैने उभय पक्षीय बहस, पत्रावली पर उपलब्ध प्रस्ताव/दस्तावेजो प्राथमिक डिक्री, बंटवारा प्रस्ताव का अवलोकन व मनन किया जिससे स्पष्ट है कि बंटवारा प्रस्ताव विधिवत Meats & bounds के आधार पर पेश किया गया है। वादी को पृथक से अपने हिस्से से .8400 है भूमि प्रस्तावित है परन्तु अन्य भूमि जो की कृषि कुए व अन्य है मे शामलाती रूप से दिया गया है अत: वादी को उसका संपूर्ण हक हिस्सा बंटवारा प्रस्ताव मे प्राप्त हुए	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यावाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाय जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
	बंटवारा प्रस्ताव मे लाल स्याही से सभी पक्षकारो की भूमि तक शामलाती रास्ता भी दर्शाया है अत: रास्ते का प्रावधान भी है व वादी को अपने हिस्से 1/12 अनुसार शामलाती कृषि कुए मे भी हक अधिकार बंटवारा प्रस्ताव मे दिये गये है अत: समस्त आपत्तिया निराधार है व बंटवारा प्रस्ताव विधिक प्रावधानो अनुरूप होने से वादी का वाद विरुद्ध प्रतिवादीगण डिक्री होकर बंटवारा प्रस्ताव अनुसार बंटवारे का निर्णय व डिक्री पृथक से टंकण करवायी गयी। पत्रावली फैसल अनुसार होकर नम्बर से कम हो। [signature] 16/10/23 सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक) दांतारामगढ़ (सीकर)	
16/10/23	पत्रावली प्रति. सं. 2 के प्रा. पत्र अंतर्गत धारा 152 CPC पर पेश हुई व निवेदन किया की अंतिम डिक्री मे लेखकीय त्रुटि से गिरधारी पुत्र गुमान,	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यावाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाय जो हुक्म की तारीख जारी हुए

मदन सिंह पुत्र गुमान, मूली पुत्री गुमान का हिस्सा 1/12 की जगह 1/2 दर्ज हो गया है अतः उक्त लेखनीय त्रुटि को शुद्ध किया जावे।

मैंने पत्रावली व डिक्री का अवलोकन किया जिसमें स्पष्ट है कि डिक्री की तालिका के column No. 4 में गिरधारीलाल पुत्र गुमान, मदनसिंह पुत्र गुमान व मूली पुत्री गुमान का हिस्सा 1/2 दर्ज हो गया है जो लेखनीय त्रुटि है अतः धारा 152 CPC के तहत उक्त अंतिम डिक्री के तालिका के क्रम सं. 4 में उपरोक्त गुमान के पुत्र गिरधारी लाल, मदन व मूली देवी पुत्री गुमान का हिस्सा 1/2 की जगह 1/12 $\frac{1}{12}$ दर्ज किया जावे।

पुनः संशोधित अंतिम डिक्री जारी हो।

[signature]

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
दाँतारामगढ़ (सीकर) [illegible]/23